



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 03 माह 10 दिन के साधारण कारावास व 200/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0- 214/2014 धारा-3/25 आम्र्स एकट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय सिविल जज सी0डि0 जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त लालजी शर्मा पुत्र उमाशंकर शर्मा निवासी बसेला थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 माह 10 दिन के साधारण कारावास व 200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-पीओ
विकास



विवेचक-
उनिं0 विद्यासागर



पैरोकार- थाना राठ
का0 सर्वज्ञ